आय–व्ययक 2013–14 के प्रमुख बिन्दु

1– आय

- वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुमान रु016158.95 करोड़ के सापेक्ष 2013–14 में राजस्व प्राप्तियों में 17.31 प्रतिशत वृद्धि सहित रु018955.72 करोड़ की राजस्व आय अनुमानित।
- वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुमान में कर राजस्व में रु0 9368.71 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में 17.50 प्रतिशत वृद्धि सहित रु0 11007.81 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित।
- पूँजीगत प्राप्तियों में 2012–13 के आय–व्ययक अनुमान रु0 4884.10 करोड़ के सापेक्ष 22.53 प्रतिशत वृद्धि सहित रु0 5984.59 करोड़ की प्राप्तियाँ अनुमानित। इसके सापेक्ष ऋणों में वर्ष 2012–13 में रु0 4766 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में 11.20 प्रतिशत वृद्धि सहित रु0 5300 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित।
- वर्ष 2012–13 में कुल रु0 21043.05 करोड़ प्राप्तियों के अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में 18.52 प्रतिशत वृद्धि सहित कुल प्राप्तियाँ रु0 24940.32 करोड़ अनुमानित।

2–व्यय

- वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में रु0 21931.77 करोड़ कुल व्यय के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में 15.49 प्रतिशत वृद्धि सहित रु0 25329.84 करोड़ का कुल व्यय अनुमानित।
- वर्ष 2013–14 में आयोजनेत्तर व्यय रु0 16619.46 करोड़ अनुमानित है जो कुल व्यय का 65.61 प्रतिशत है। वर्ष 2012–13 के अनुमान रु0 14882.81 के सापेक्ष आयोजनेत्तर व्यय में 11.67 प्रतिशत की वृद्धि है।
- वर्ष 2012–13 में रु0 7048.96 करोड़ आयोजनागत व्यय के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में 23.57 प्रतिशत वृद्धि सहित रु0 8710.38 करोड़ अनुमानित है।
- आय–व्ययक 2012–13 में रु0 6214.66 करोड़ पूँजीगत व्यय के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में 17.07 प्रतिशत की वृद्धि सहित रु0 7275.64 करोड़ अनुमानित है।
- ब्याज में वर्ष 2012–13 में रु0 2025 करोड़ व्यय के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में 25. 47 प्रतिशत वृद्धि सहित रु0 2540.85 करोड़ व्यय अनुमानित है।

- पेंशन की मद में वर्ष 2012–13 में रु0 1439.80 करोड़ व्यय के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में 38.18 प्रतिशत वृद्धि सहित रु0 1989.55 करोड़ व्यय अनुमानित है।
- ऋण वापसी की मद में वर्ष 2013–14 में रु0 2152.79 करोड़ का व्यय अनुमानित है जो कि गत वर्ष के आय–व्ययक रु0 2297.13 करोड़ के सापेक्ष 6. 28 प्रतिशत कम है।
- वेतन की मद में वर्ष 2012–13 में रु0 6913.05 करोड़ व्यय के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में 13.50 प्रतिशत वृद्धि सहित रु0 7846.95 करोड़ व्यय अनुमानित है।

3–राजकोषीय संकेतक

- वर्ष 2013–14 में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं बल्कि रु0 901.52 करोड़ का राजस्व सरप्लस अनुमानित, अर्थात राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से कम रहना अनुमानित है।
- राजकोषीय घाटा रु0 3536.74 करोड़ है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) का 2.92 प्रतिशत है।
- राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा के सम्बन्ध में आय–व्ययक 2013–14 के परिणाम राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (अर्थात एफ0आर0बी0एम0) अधिनियम के लक्ष्यों (राजस्व घाटा शून्य, राजकोषीय घाटा जी0एस0डी0पी0 का 3.0 प्रतिशत) की सीमान्तर्गत हैं।

4–करों में छूट

- होली के रंग एवं पिचकारी को वैट से कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
- महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से बिक्री पत्रों तथा अन्य अन्तरण विलेखों के सम्बन्ध में वर्तमान रु0 20 लाख के स्थान पर रु0 30 लाख तक के विलेखों में स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।
- परिवार के सदस्यों के पक्ष में किये जाने वाले दान पत्रों पर स्टाम्प शुल्क वर्तमान 2 प्रतिशत दर के स्थान पर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

- निःशक्त व्यक्तियों को सम्पत्ति के अन्तरण में स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट वर्तमान रु0 5 लाख मूल्य की सम्पत्ति के स्थान पर रु0 10 लाख किया जाना प्रस्तावित है।
- दैवी आपदा से क्षति रोकने व बाढ़ संरक्षण सम्बन्धी कार्यो हेतु उपयोग में लाए जाने वाले वायर क्रेट पर कर दर घटा कर 13.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु इकाईयों को फार्म ''सी'' के विरुद्ध कर छूट की सुविधा की अवधि 31 मार्च 2015 अथवा जी0एस0टी0 लागू होने तक विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य में पर्यटन को विकसित करने के उद्देश्य से 'स्पा' को सुख–साधन कर के दायरे से हटाया जाना प्रस्तावित है।
- होटल व्यवसायियों को सुविधा दिये जाने के दृष्टिगत होटल पर सुख–साधन कर सम्बन्धी कर निर्धारण छमाही के बजाय वार्षिक किया जायेगा।
- व्यापार तथा उद्योगं की सुविधा के लिए केन्द्रीय बिक्री कर से सम्बन्धित फार्म ''सी'', ''एफ'' एवं ''एच'' विभागीय वैबसाईट से सीधे उपलब्ध हो जायेगा, जिसके लिए उन्हें कोई फीस अदा नहीं करनी होगी।
- उद्यमियों की सुविधा के लिए वैट नियमावली अन्तर्गत जारी किये जाने वाले फार्म XI हेतु निर्धारित मौद्रिक सीमा रुपये पाँच लाख को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही फार्म XI को वर्तमान वर्ष तथा पूर्व दो वर्षों के स्थान पर वर्तमान तथा पूर्व चार वित्तीय वर्षों के लिए जारी करने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।
- फल उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए फलों से विनिर्मित वाईन पर कर दर को 32.5 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

5—अन्य प्रमुख बिन्दु

- जेण्डर बजट के रूप में शत् प्रतिशत महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के साथ अन्य योजनाओं में मात्राकरण आधार पर महिलाओं के सशक्तिकरण को समुचित एवं समन्वित रूप से गति प्रदान की जा रही है। इसे सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2013—14 में जेण्डर बजट में लगभग रु.3262 करोड़ का प्राविधान है जो वर्ष 2012—13 के सापेक्ष लगभग 46 प्रतिशत अधिक है।
- महिलाओं की सुरक्षा तथा उत्पीड़न की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हेतु पुलिस विभाग के अन्तर्गत पुलिस मुख्यालय तथा जनपदों में महिला सहायता प्रकोष्ठ तथा महिला हेल्प लाइन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त रु0 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है। वर्ष 2013—14 में अनुसूचित जाति उपयोजना में रु0 946.69 करोड़ का प्राविधान किया गया जो वर्ष 2012—13 के बजट प्राविधान रु. 794.50 करोड़ से 19.16 प्रतिशत अधिक है।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु गहरी बोरिंग एवं विद्युत संयोजन के लिए अनुदान की व्यवस्था की गयी है।
- नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति बस्तियों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु हैण्ड पम्प अधिष्ठापन करना प्रस्तावित है। यह व्यवस्था जिला योजना के बजट प्राविधान के अतिरिक्त की जा रही है।
- अल्संख्यकों के कल्याण हेतु वर्ष 2012—13 के आय—व्ययक के सापेक्ष वर्ष 2013—14 में 127 प्रतिशत वृद्धि सहित लगभग रु.75 करोड़ का प्राविधान किया गया ह।

- यद्यपि राज्य कठिन वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है, फिर भी जनहित से संबंधित प्रमुख विभागों के बजट में हमारी सरकार ने बढ़ोत्तरी की हैः
    - शिक्षा– वर्ष 2012–13 में रू0 4321 करोड़ को बढ़ाकर रू0 4875 करोड़ किया गया है
    - चिकित्सा विभाग– वर्ष 2012–13 में रू0 996 करोड़ को बढ़ाकर रू0 1209 करोड़ किया गया है
    - लोक निर्माण विभाग–वर्ष 2012–13 में रू0 1167 करोड़ के प्राविधान को बढ़ाकर रू0 1314 करोड़ किया गया है
    - पेयजल– वर्ष 2012–13 में रू0 429 करोड़ को बढ़ाकर रू0 588 करोड़ किया गया है
    - कल्याण योजनाओं में वर्ष 2012–13 में 1000 करोड़ को बढ़ाकर 1237 किया गया है
    - कृषि तथा संबद्ध विभागों के लिए लगभग रू0 3400 करोड़ का प्राविधान किया गया है

- राज्य आन्दोलनकारियों के लिए उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए प्राविधान किया गया है।
- पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु नयी योजना के रूप में राजीव गॉधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान अन्तर्गत रु0 36 करोड़ का प्राविधान रखा गया है।

- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन अन्तर्गत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की योजनाओं को प्रोत्साहित किये जाने की व्यवस्था की गयी है एवं इस हेतु रु. 40 करोड़ का प्राविधान है।
- प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने हेतु सी बैण्ड डापलर वैदर रडार की स्थापना की जायेगी।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना अन्तर्गत कोटद्वार, बाजपुर, जसपुर, सितारगंज एवं हल्द्वानी में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की स्थापना प्रस्तावित है।